भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *100
08 फरवरी, 2022 को उत्तर देने के लिए

प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना का कार्यान्वयन

***100. श्री रमेश चन्द्र माझी:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना— प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव ओडिशा के पिछड़े नबरंगपुर और मलकानगिरी जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

“प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना का कार्यान्वयन” के बारे में दिनांक 08.02.2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *100 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रचालनरत है। मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने अथवा व्यक्तियों के लिए नई सूक्ष्म यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के माध्यम से 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये के अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / सहकारी समितियों की खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी, इन्क्यूबेशन केंद्र, सामान्य आधारभूत संरचना, विपणन और ब्रांडिंग तथा क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ): यह मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। पीएमएफएमई योजना मौजूदा इकाइयों के उन्नयन/नई सूक्ष्म इकाइयों/समूहों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। पीएमएफएमई योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए ओडिशा के नबरंगपुर से 14 और मलकानगिरी जिले से 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

****